सरल कानूनी ज्ञान माला - 1

उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एक कानूनी सहायता कार्यक्रम

भाग-1

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम - 1987

1. अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी
2. अधिनियम का उद्देश्य

भाग-2

अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मुख्य कृतकारियाँ

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
3. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति
4. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
6. तहसील विधिक सेवा समिति

भाग - 3

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. निःशुल्क कानूनी सहायता का अभिप्राय
2. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के कौन अधिकारी है।

भाग - 4

लोक अदालत :

1. लोक अदालत पंच परमेश्वर का ही एक रूप है।
2. न्यायालय में लंबित मुकदमों एवं अन्य सभी झगड़ों को लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है।
3. लोक अदालतों का आयोजन
4. लोक अदालत में झगड़ों के निस्तारण की प्रक्रिया
5. लोक अदालत का अवार्ड या अधिनिर्णय अब न्यायालय की डिक्री के समान होंगे।
6. लोक अदालत की शक्तियाँ
7. लोक अदालत द्वारा सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित लंबित वाद में लोक न्यायालय में जमा कोर्ट फीस वापिस मिल जायेगी।
8. लोक अदालत के सुलहकर्ता दल द्वारा अवार्ड कैसे तैयार किया जायेगा।

भाग - 5

स्थाई लोक अदालत संबंधी नये प्रावधान :

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की नई धारा 89 के अनुसार लंबित मुकदमों को लोक अदालत द्वारा मध्यस्थता या सुलह समझौते से तय करने संबंधी नये प्रावधान।
2. मुकदमेबाजी से पहले सुलह समझौते से झगड़ा तय करने बावत् स्थाई लोक अदालत सम्बन्धी अधिनियम की धारा 22-क के अधीन नई व्यवस्था।
3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालत की स्थापना।

भाग - 6

उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. अल्मोड़ा
2. बागेश्वर
3. चमोली
4. चम्पावत
5. देहरादून
6. हरिद्वार
7. नैनीताल
8. पौड़ी गढ़वाल
9. पिथौरागढ़
10. रूद्रप्रयाग
11. टिहरी गढ़वाल
12. उधम सिंह नगर
13. उत्तरकाशी

भाग–1

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम - 1987

1. अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी :

''न्याय सबको मिले, के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी'' ?

जहां एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको बराबरी का मौलिक अधिकार दिया गया हैं वही ऐसे मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराने हेतु उच्च न्यायालय से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एवं उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के माध्यम से रिट दायर करके सभी मौलिक अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन न्यायालय की शरण में जाने के लिए वकील एवं मुकदमा लड़ने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है जो कि एक आम आदमी के लिए सम्भव नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को आम आदमियों तक उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट के माध्यम से 200/–रुपये मात्र फीस देकर इनकी प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध करायी है, परन्तु दुख की बात यह है कि इसका लाभ केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति एवं अन्य उद्योगपति ही ले रहे है क्योंकि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में वकीलों की फीस हजारों रुपये होती है जो कि आम आदमी की शक्ति से बाहर है। यह स्थिति प्राय: जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायालयों में भी देखने को मिली जिससे यह अनुभव किया गया कि आम आदमी के पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण वह न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पर रहा है। इसके परिणामस्वरूप जहाँ एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 39 को संशोधित करते हुए 39–क के अन्तर्गत सरकारी नीति निर्देशक प्रावधानित किया गया तथा असहाय, निर्बल व दलित व्यक्ति के लिए इस बात की व्यवस्था की गई कि उसे नि:शुल्क कानूनी सहायता सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। यह संशोधन 1976 में किया गया तथा इसको लागू करने के लिए कई कार्य योजनाएं बनायी गयी और केन्द्र स्तर एवं राज्य स्तर पर विधिक सहायता एवं परामर्श बोर्डों का गठन किया लेकिन इन सभी एजेंसियों के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं थी इसलिए यह अनुभव किया गया कि कानून बनाकर इनकों शक्तियाँ उपलब्ध करायी जायें ताकि आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य की वास्तविक प्राप्ति की जा सकें। इसी के अनुपालन में सन् 1987 में नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने एवं अन्य कानूनी सुविधा एवं अन्य कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 सृजित किया गया जिसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि ऐसे प्राधिकरणो को व्यापक शक्तियाँ दी जायें और कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाने के लिए उन्हें पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराया जाये। इसी के परिणामस्वरूप अब जो भी कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाये जाते है उनमें इन प्राधिकरणों को पर्याप्त शक्तियाँ एवं साधन उपलब्ध कराया गया है तथा जो भी सुलह द्वारा समझौते किये जाते हैं उसको न्यायालय की डिक्री का रूप भी दिया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने की व्यवस्था की गयी और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर जो कानूनी सहायता समिति गठित की गयी है उनसे भी यह स्पष्ट अपेक्षा की गयी है कि अपने स्तर से हर प्रकार से निर्धन, असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के सिद्धांतों को साकार करें। 1987 में यह कानून बनाकर सभी राज्यों में व्यापक रूप से कानूनी सेवा कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया गया और आम आदमी को उसके द्वार पर न्याय देने का प्रयास किया गया लेकिन अभी भी आम

आदमी को न्याय मिलने की मंजिल बहुत दूर थी जिसके रास्ते को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सन् 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संशोधित करते हुए इसमें सुलह-समझौते को और व्यापक रूप देने के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत का गठन करने की व्यवस्था की गयी है इस स्थायी लोक अदालत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उदेद्श्य से इसके क्षेत्राधिकार को और व्यापक बनाकर सभी प्रकार की लोक सेवाओं को आम आदमी तक सुनिश्चित करने के लिए स्थायी लोक अदालत को सशक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अदालतों में जो भी मुकदमें दायर किये जायेंगे या लम्बित हैं उनको भी न्यायालयों की सेवाओं का प्रयोग करते हुए सुलह-समझौते से निस्तारण करने का प्रयास किया जायेगा, इसी परिप्रेक्ष्य में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89-क को संशोधित करते हुए सुलह- समझौते की व्यवस्था की गयी है उसका प्रयोग इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। इसी प्रकार जो आम आदमी को नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का सपना सन् 1976 में देखा गया, जिसको प्रारम्भ में संविधान के अनुच्छेद 39-क द्वारा जोड़ा गया था, उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के रूप में कानून बनाकर तहसील से लेकर उच्चतम न्यायालय तक कार्यरत करते हुए प्राधिकरणों एवं समितियों को पर्याप्त शक्तियाँ उपलब्ध करायी गयी और अन्ततोगत्वा 2002 में इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को व्यापक रूप से संशोधित करते हुए एक नई संस्था ''स्थायी लोक अदालत'' को जन्म दिया गया। इन सभी कानूनों को बनाने की मन्शा यह है कि इनके अन्तर्गत जो भी नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की एजेंसियाँ है चाहें वह तहसील स्तर पर तालूक विधिक सहायता समिति हो या जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो या राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो, सब इस बात का प्रयास करें कि आम आदमी को न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके और कोई भी व्यक्ति अपनी असमर्थता या असक्षमता के कारण न्याय से वंचित न हो।

2- अधिनियम का उद्देश्य :-

इस अधिनियम का उद्देश्य नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं लोक अदालतों का आयोजन करना है। इसके अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करके समाज के कमजोर वर्गों को, जो आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उनकों नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना तथा न्यायालय में लम्बित मामलों को सुलह समझौते द्वारा निस्तारण करने के लिये लोक अदालतों का आयोजन करना है। नि:शुल्क कानूनी सहायता एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम है क्योंकि हमारे देश में आज भी अधिसंख्य स्त्री, पुरुष और बच्चों को अशिक्षा एवं अज्ञानता से ग्रसित होने के साथ-साथ साधनों के अभाव में समाज के शक्तिशाली वर्ग के विरूद्ध दृढ़तापूर्वक अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं जिससे ऐसे असहाय और निर्बल वर्ग के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियों के माध्यम से जनमानस को सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिये आश्वस्त किया जाता है। इस कार्यक्रम को कानूनी रूप देकर और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

भाग-2

अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मुख्य कृतकारियाँ

नि:शुल्क कानूनी सहायता तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं लोक अदालत को इस अधिनियम के माध्यम से विधिक रूप दिया गया है और इनकी देखभाल करने का दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिला स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को उच्च न्यायालय स्तर पर तथा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को उच्चतम न्यायालय स्तर पर सुपुर्द किया गया है इसलिये इनकी संक्षिप्त जानकारी होनी परम आवश्यक है कि इन सभी विभिन्न स्तरों पर कार्यरत एजेंसियों का कार्यक्षेत्र क्या है :-

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण :-

जहां प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है जो अपने राज्य के अन्तर्गत सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन करती है वहीं दूसरी और राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिनियम के अन्तर्गत जो प्राधिकरण सृजित किया गया है उसका नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति की सलाह पर उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका कार्यपालक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य होते है जिसकी व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है। इसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ही उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का कठन किया जाता है और यह प्राधिकरण विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिये नीतियाँ और सिद्धान्त अभिकथित करती है तथा विधिक सेवा उपलब्ध कराने के

प्रयोजन से प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाओं को तैयार करना तथा राज्य प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधि का आबंटन करना और इसके साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का समाज के कमजोर वर्गों के लिये सामाजिक न्याय सम्बन्धी मुकदमों के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त सभी विधिक समितियों के कार्यक्रमों को मोनिटर करना और विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिये सहायता एवं अनुदान देना है। अत: कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये गये है उन सभी का नेतृत्व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण :-

प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किये गये है एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। इन सभी की देखरेख का दायित्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का है जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य संरक्षक बनाया गया है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के आसीन या सेवारत न्यायाधीश में से की जाती है तथा इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्राधिकरण में महाधिवक्ता, सचिव राज्य परिषद, प्रमुख सचिव वित्त एवं न्याय विभाग, पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से दो जिला न्यायाधीश तथा बार कौंसिल के नाम निर्दिष्ट सदस्य एवं 6 अन्य सदस्यों के भी नाम निर्दिष्ट करने की व्यवस्था है जो समाजसेवी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं विधि क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कृत्यों में मुख्यत: विधिक सेवा देने सम्बन्धी मापदण्डों की पूर्ति करना, लोक अदालतों का संचालन करना, विधिक सहायता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना है जो राज्यों विधिक सेवा प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से सुनिश्चित करती है जिले में जो विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है उनका गठन भी इसी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है एवं इसके कार्यों का मार्गदर्शन इसी के द्वारा किया जाता है।

3. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति :-

उच्चतम न्यायालय में कार्यरत विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होता है जिसका चयन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इस समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों की पदावधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम द्वारा अभिनिर्धारित की जाती है क्योंकि पक्षकारों के मामले किसी भी स्तर पर लम्बित हो सकते है और उनके निस्तारण के लिये लोक अदालतों का आयोजन भी भिन्न-भिन्न स्तरों पर किया जाना वांछनीय है। अत: जहां जिला स्तर पर लोक अदालतों के आयोजन का दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का होता है वही उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर यह कार्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्षों का है। इस प्रकार हर स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन करने के लिये अलग-अलग व्यवस्था इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है।

4. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति :-

उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मामलों में विधिक सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिये एक समिति गठित की गयी है जिसको उच्च नयायालय विधिक सेवा समिति के नाम से जाना जाता है। जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होते है और उच्चतर न्यायिक सेवा का एक अधिकारी इसमें सचिव के रूप में कार्य करते है। इस समिति के कृत्य ऐसे सभी मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करना होता है जो उच्च न्यायालय में लम्बित है और समय-समय पर जो उच्च न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की जाती है वह भी इसी समिति के माध्यम से की जाती है।

5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :-

प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होता है तथा सिविल न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी इस प्राधिकरण में सचिव के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सरकारी अधिवक्ता-दीवानी, जिला सरकारी अधिवक्ता फौजदारी एवं माल एवं 6 अन्य सदस्यों को राज्य सकरार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो सामाजिक कार्यकर्ता या विधि क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होते है जिनकी सेवाओं को प्राधिकरण द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कृत्यों का प्रश्न है उसमें कानूनी नि:शुल्क सहायता देना तथा लोक अदालतों का आयोजन करना एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के समन्वयन से कार्य करना भी सम्मिलित है प्रत्येक जिले में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी विधिक सेवा समितियों के गठन की व्यवस्था की गयी है जो तहसील में विधिक सेवाओं

के क्रिया-कलापों का समन्वयन करने के साथ-साथ तहसील के अन्दर लोक अदालतों को आयोजन भी करती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो कृत्यों को समुनादिष्ट किया जाता है उसका भी यह पालन सुनिश्चित कराती है।

6. तहसील अथवा तहसील विधिक सेवा समिति :-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरह ही तालकू अर्थात् तहसील के लिए अधिनियम की धारा 11-ए में यह व्यवस्था दी गयी है कि उसमें तहसील के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाया गया है और इस समिति के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या अनुभव एवं योग्यता आदि भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरह ही इसके सदस्य होते है, जिनको राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट से राय लेकर नामित किये जायेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ताल्लुक विधिक सेवा समिति में जो भी सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की राय से की जायेगी। परन्तु तहसील विधिक सेवा समिति में जो भी अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे उनकी नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी जहां तक इस के कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, मुख्यत: वही हैं जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है परन्तु तहसील स्तर पर ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लेने होंगे।

भाग - 3

नि:शुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. नि:शुल्क कानूनी सहायता का अभिप्राय :-

अक्सर गरीबी, निर्धन, असहाय एवं दुर्बल लोगों पर धनवान, शक्तिमान एवं बलवान हावी हो जाते है और इन कमजोर लोगों के पास मुकदमा लड़ने के लिये धन नहीं होता है जो उनका आर्थिक मजबूरी का कारण बन जाता है। अत: ऐसे दुर्बल व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देकर उन्हें साहस एवं सामर्थ्या उपलब्ध कराना होता है। नि:शुल्क कानूनी सहायता के अन्तर्गत तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियां, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जहां पर न्याय की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनकर उपलब्ध कागजातों का अध्ययन करके विधि विशेषज्ञ लिखित रूप में अपना परामर्श प्रदान करते हैं और यदि इस परामर्श के अनुसार न्यायालय में वाद या प्रतिवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकतानुसार न्याय शुल्क भी प्रदान किया जाता है। जहां दस्तावेजों की न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेजों की नकल के लिये खर्चा भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गवाहों को न्यायालय तक लाने व ले जाने एवं पैरवी का खर्चा भी विधिक सेवा प्राधिकरण या समितियों द्वारा ही वहन किया जाता हैं। इस प्रकार नि:शुल्क कानूनी सहायता में दीवानी, फौजदारी और राजस्व के मुकदमों के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्साही एवं कुशल अधिवक्ताओं की सूची बनायी जाती है और जिन निर्धन एवं निर्बल वर्ग को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है उनके उपस्थित होने पर उनके मुकदमों की प्रकृति को देखते हुये उसके अनुरूप चयनित अधिवक्ता की सेवा उसे उपलब्ध करायी जाती है। इन अधिकवक्ताओं की फीस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आंबटित राशि से उपलब्ध की जाती है। अनेक बार ऐसा भी अवसर आता है कि जब उत्साही अधिवक्ता स्वयं नि:शुल्क कानूनी सहायता देने के लिये तत्पर हो जाते है।

2. नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के कौन-कौन से पात्र है :-

सभी निर्धन, निर्बल एवं असहाय व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। जहाँ तक निर्बल एवं असहाय व्यक्ति का प्रश्न है उसमें कोई आय की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य हो, स्त्री या बच्चा हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ हो या अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति इन सबके लिये वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथा यह सभी नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त श्रेणी में न आता हो तो वह भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है किन्तु उनके संबंध में यह शर्त निर्धारित की गयी है कि उनकी समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु. 1,00,0000/- (एक लाख रुपया) तक हो। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो या निर्बल हो, जिसका विवरण उपर्युक्त दिया गया है उसे यदि कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो उसके लिये प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सादे कागज पर या संलग्न प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें मुकदमें का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा तथा पात्रता के संबंध में समस्त श्रोतों से आय का प्रमाण अथवा जाति का प्रमाण शपथ पत्र दाखिल करके दिया जा सकता है जैसा कि इस अधिनियम की धारा 13(2) में व्यवस्था की गयी है।

भाग - 4

लोक अदालत

1. लोक अदालत पंच परमेश्वर का ही एक रूप है :

भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सपनों के भारत में जिस रामराज्य की कल्पना की गयी थी वह वास्तव में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था पर टिका हुआ है और बापू की इस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम पंचायत के गठन और उनके विकास पर विशेष बल दिया गया था परन्तु दुख का विषय है कि ग्राम स्तर पर बढ़ती हुयी आपसी पार्टीबाजी के फलस्वरूप यह राजराज्य का वातावरण दूषित हो गया और गाँव के लोग छोटे-मोटे मुकदमों के निपटारे के लिये भी न्यायालय की शरण में आने लगे जिसमे मुकदमों का न्यायालय में अम्बार हो गया और छोटे-मोटे वाद भी वर्षों निर्णय की प्रतीक्षा में रहने लगे जिससे वादी और प्रतिवादी तारीख पर तारीख न्यायालयों के चक्कर लगाते है इससे उनके समय और धन की बर्बादी होती है। इस स्थिति से निपटने के लिये लोक अदालतों को प्रारम्भ किया गया। वैसे भले ही लोक अदालत वर्तमान स्वरूप में हमें एक नयी बात लगती हो परन्तु वास्तव में लोक अदालतें हमारे देश की प्रचलित न्याय की पुरातन परम्पराओं का ही नया रूप है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व पंच परमेश्वर की ही प्रमुख भूमिका रहती थी जो गांव बस्ती या समाज के ऐसे लोग होते थे जिनकी न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता में किसी को सन्देह नहीं होता था इनके द्वारा किया गया न्याय न केवल सही अर्थों में सच्चा न्याय होता था बल्कि ये उभय पक्षों की आपसी कटुता और मन मुटाव को सदैव के लिये दूर करते थे। चूंकि हमारे न्यायालयों में जहां एक तरफ मुकदमेबाजी में भारी खर्च उठाना पड़ता है वहीं दूसरी और मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब तथा जटिल प्रक्रियाओं के कारण त्वरित एंव सस्ता न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता और इन समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालतों को इस अधिनियम के माध्यम से अब कानूनी रूप दिया गया हैं।

2. न्यायालय में लम्बित मुकदमें एवं अन्य सभी झगड़ों का लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है :-

लोक अदालतों के माध्यम से केवल न्यायालय में लम्बित मामलों का ही निस्तारण सुलहकर्तादल द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि जो वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है उनका भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जा सकता है। चूंकि कभी-कभी पक्षकारों के मामले ऐसे होते हैं जिनमें अभी चिंगारी धधक रही होती है जो कभी भी ज्वाला बनकर दोनों पक्षकारों को जला सकती है। अत: दोनों पक्ष अथवा उनके हितैषियों की यह आन्तरिक कामना रहती हैं कि उनकी यह समस्या सुलझ जाये और ऐसे सभी पति-पत्नी के बीच झगड़े, भाई-भाई के बीच झगड़े या अन्य पारिवारिक झगड़े तथा पड़ोसियों के बीच मनमुटाव इत्यादि के मामलों का सुलह समझौते के माध्यम से लोक अदालतों में निस्तारण किया जाता है जिससे दोनों पक्ष फिर से आपस में भाई चारे को लेकर लौटते हैं और भविष्य में पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी से बच सकते है। अत: लोक अदालत केवल न्यायालय में लम्बित मामलों का ही निसतारण नहीं करते हैं। बल्कि अदालतों में मुकदमा आने से पहले जो झगड़ा होता है उसका निस्तारण भी किया जाता है। इसके साथ-साथ न्यायालय में लम्बित मोटर दुघर्टना प्रतिकर वादों एवं फौजदारी के ऐसे सभी मुकदमों, जो सुलह समझौते से निस्तारित किये जा सकते हैं तथा राजस्व मामलों का निस्तारण भी लोक अदालतों के माध्यम से किया जाता है क्योंकि सभी मामलों में कानूनी मुद्दा इनके निस्तारण में नहीं रहता है। मोटर दुर्घटना वादों में मृत्यु होती है अथवा यदि किसी को चोटें आती हैं उसके निस्तारण के लिये क्षतिपूर्ति के मापदण्ड भी निश्चित हैं जिनके बिना किसी परेशानी के सुलह बीमा कम्पनियों के सक्रिय सहयोग के द्वारा निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह फौजदारी के छोटे-मोटे मुकदमे जो जुर्माने से दण्डनीय होते हैं का सुलह के आधार पर निस्तारण हो सकता है उनको भी आसानी से तय किया जा सकता है इससे पक्षकारों को अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और लोक अदालत की तिथि पर उनके द्वारा अपने अपराध की स्वीकृति करने पर उचित जुर्माना अदा करके अपने मुकदमे से छुटकारा पा सकते हैं और इससे न्यायालय के कीमती वक्त की भी बचत हो जाती है तथा कम समय में अधिक मुकदमों का निपटारा हो जाता है।

3. अदालतों का आयोजन :

अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत धारा 19 से लेकर 22 तक लोक अदालतों के आयोजन सम्बन्धी प्रावधान किये गये है उसमें लोक अदालत को उन्हीं मुकदमों में सुलह-समझौता करने का क्षेत्राधिकार होगा, जो कि उनकी लोक अदालत के सम्मुख हो और जो उनके सम्मुख लाये जाते है, लेकिन ऐसी किसी भी आपराधिक मामलों को लोक अदालत को तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो कि ऐसे अपराध से सम्बन्धित हो जिसको कि विधि में उपशमन नहीं किया जा सकता है। लोक अदालत के सम्मुख मुकदमें का संज्ञान लेने सम्बन्धी प्रक्रिया का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 20 में इस प्रकार किया गया है कि जब लोक अदालत में धारा 19(5) के अर्न्तगत मामलों को निर्दिष्ट किया जाता है तो उसमें दोनों ही पक्षकार जहां अपने मामले को तय करने के लिये सहमत होते हैं या उनमें से एक पक्षकार न्यायालय से अनुरोध करता है कि उसका मामला लोक अदालत में तय कर दिया जाये और न्यायालय इससे संतुष्ट होता

है कि मुकदमें को तय करने की सम्भावनां है तो उस स्थिति में लोक अदालत को मामला भेजा जाता है या अन्य स्थिति में ऐसे मामले में जो न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वह लोक अदालत में तय किया जा सकता है उसको भी तय कराया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे मामले को लोक अदालत में देने से पहले दोनों पक्षकारों को सुनने का पर्याप्त अवसर दिया जाये। इस प्रकार लोक अदालत के सम्मुख जो मामला प्राप्त होता है उसको पक्षकारों के बीच सुलह-समझौते द्वारा निर्णीत करने का प्रयास लोक अदालत द्वारा किया जा सकता है।

जहाँ तक लोक अदालत के सम्मुख इन मुकदमों को तय करने का प्रश्न है, उसमें मात्र इतना ही ध्यान देना जरूरी है कि ऐसा समझौता करने सम्बन्धी कार्यवाही न्याय सम्मत एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों के ही अनुकूल हो। जहाँ ऐसे मामलों को लोक अदालत से तय होना सम्भावित नहीं होता है तो उस मामले को लोक अदालत द्वारा यदि वह न्यायालय में लंबित है तो वापस भेज दिया जाता है और यदि लंबित नहीं है तो उस स्थिति में पक्षकारों को न्यायालय द्वारा तय करने के लिए उचित कार्यवाही करने की सलाह दे दी जाती है। लोक अदालत द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत एवार्ड की संज्ञा दी गयी है। अत: जब पक्षकारों के बीच में सुलह-समझौता होता है तो उस दस्तावेज को एवार्ड मानते हुए उसे न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यदि ऐसा मामला पहले न्यायालय में लंबित था तो उस स्थिति में पक्षकारों द्वारा मामला दायर करने पर जो कोर्टफीस अदा की गई थी उसको न्यायालय द्वारा उसी तरह सम्बन्धित पक्षकारों को वापस करने का आदेश करने का प्रावधान धारा 21 में दिया गया है जैसा कि कोर्टफीस अधिनियम 1817 के अन्तर्गत कोर्टफीस वापस करने का प्रावधान है। इस प्रकार जो न्यायालय द्वारा सुलह समझौता करके एवार्ड किया जाता है, वह दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और उसके विरूद्ध कोई अपील भी दायर नहीं की जा सकती।

जहां तक लोक अदालत के द्वारा ऐसे मामलों को तय करने सम्बन्धी शक्तियों का प्रश्न है, उसके बाबत इस अधिनियम की ध ाारा 22 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि जो शक्तियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवायी के लिए दी गयी हैं वे सब शक्तियाँ लोक अदालत के पास होंगी, जिसमें गवाहान को सम्मन करना, दस्तावेज दाखिल करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, न्यायालय या अन्य कार्यालय से पब्लिक रिकार्ड या पत्रावली का मंगवाना इत्यादि-इत्यादि।

इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़े तो लोक अदालत मुकदमे को तय करने सम्बन्धी अपनी भी अलग कोई प्रक्रिया अपनाने में स्वतंत्र है। अधिनियम में लोक अदालत को इतना सशक्त कर दिया गया है कि लोक अदालत के सम्मुख जो भी कार्यवाही होगी वो न्यायालय कार्यवाही मानी जायेगी और यदि इसमें कोई गड़बडी करता है या झूठ बोलता है तो उसके विरूद्ध न्यायिक अदालत की तरह भारतीय दण्ड विधान की धारा 193, 219 एवं 228 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

4. लोक अदालत में झगडों के निस्तारण की प्रक्रिया :

इन लोक अदालतों के अन्तर्गत अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधिवेताओं के सहयोग से मामलों को सुलह समझौते से निस्तारित कराया जाता है जिसमें जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची पहले से बना ली जाती है और सुविधानुसार लोक अदालत की प्रत्येक बेंच में 3 या 4 प्रतिष्ठित नागरिक बैठते हैं जो दोनों पक्षों को सुनकर इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि झगड़े की कठिनाई कहां पर है और गुत्थी कहां नहीं सुलझ पा रही है। इन सुलहकर्ता दल में सदस्यों के रूप में प्राय: अधिवक्तागण, अवकाश प्राप्त अधिकारीगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और वादकारियों एवं उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्हें इस बात को समझाने का प्रयास किया जाता हे कि उनकी भलाई किसमें है और कैसे दोनों पक्षकार सन्तुष्ट होते हुए आपस में समझौता करते है। प्राय: यह देखा गया है कि लोक अदालतों में सुलहकर्ता दल के सामने जब दोनों पक्षकार आमने-सामने बैठते हैं और यह सुलहकर्ता दल जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं उनके विवादों को हल करने का प्रयास करते हैं तो मामले निपट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपने बैर-भाव को भुलाकर आपस में संधि कर लेते हैं और इस प्रकार संधिपत्र न्यायालय की डिक्री का भाग बन जाता है जो दोनों पक्षों पर लागू होता है और जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इससे जहाँ केवल मुकदमों का निस्तारण ही नहीं होता है बल्कि यह उभयपक्षों की आपसी कटुता और मनमुटाव को सदा के लिये भी दूर कर देता है।

5. लोक अदालतों के अवार्ड या अधिनिर्णय अब न्यायालय की डिक्री के समान होंगे :

इस अधिनियम के बनने के बाद लोक अदालतों द्वारा सुलह समझौते में जब संधिपत्र तैयार किये जाते है वह तब तक प्रभावी नहीं हो सकते थे जब तक कि न्यायालय द्वारा इन पर आदेश पारित करके डिक्री का हिस्सा नहीं बनाया जाता था परन्तु अब इस अधि ानियम के बनने के बाद धारा 21(1) में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है कि लोक अदालतों को प्रत्येक अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री का आदेश समझा जायेगा यह धारा 21 इस प्रकार है।

21:- 1- लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जायेगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा-1 के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता कराया या परिनिर्धारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन उपबन्धित रीति से लौटा दी जायेगी।

2- लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा तथा अधि ानिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

6. लोक अदालतों की शक्तियाँ :

चूँकि अब इस अधिनियम के बनने के बाद लोक अदालतों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां दे दी गयी हैं इसलिये अब लोक अदालतों में कार्यरत सभी सुलहकर्ता दल संधि पत्र तैयार किये जाते है उसको भी कानूनी रूप देकर जो न्यायालय को शक्तियां दी गयी थी वह सभी शक्तियां सुलहकर्ता दल को भी प्रदान की गयी हैं जो धारा 22 में उपबन्धित हैं वह इस प्रकार हैं।

22- (1) लोक अदालत की, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारणा करने के प्रयोजन के लिये, वही शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के, अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित में से किसी विषय की बावत विचारण करते समय निहित होती है, अर्थात्-

क:- किसी साक्षी को सम्मन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

ख:- किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसको पेश किया जाना,

ग:- शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

घ:- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना, और

ड:- ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जाएं।

(2) उपधारा-1 में अन्तर्विष्ट शक्तियां की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत को उसके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारणा के लिये अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी।

3- लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, धारा 210 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और प्रत्येक लोक अदालत, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 प्रयोजन के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

लोक अदालतों का कार्य चूंकि न्यायालय की तरह पक्षकारों के विवादों का निस्तारण करना है जिसका प्रमुख माध्यम आपसी सुलह समझौता है इसलिये जो न्यायालय के पास अब शक्तियां थी वह सभी शक्तियां इस अधिनियम के माध्यम से लोक अदालतों को भी दी गयी है इसलिये अब लोक अदालतों के माध्यम से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के जमाव को कम करने में सहायता देगी और इस प्रकार हमारी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने में सहायता मिलेगी। अत: हम सबका यह कर्तव्य है कि लोक अदालतें, जो कि न्याय व्यवस्था में एक सहायक के रूप में है, हमें इसको अधिक बढ़ावा देना चाहिये ताकि न्याय की सेवा भली प्रकार की जा सके और हर निर्धन एवं बलवान व्यक्ति को समानता के आधार पर शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सकें।

7:- न्यायालय में लम्बित वाद का लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण होने पर न्यायालय में जमा कोर्ट फीस वापस मिल जायेगी :

चूँकि सिविल कोर्ट में कोई भी मुकदमा कोर्ट फीस अदा करने के बगैर दायर नहीं किया जा सकता है इसलिये जितनी कीमत की झगड़े की सम्पत्ति होती है उस पर कुछ प्रतिशत धनराशि को मुकदमा दायर करते समय कोर्ट फीस के रूप में जमा करना पड़ता है। अब इस अधिनियम की धारा 20 में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि पक्षकार यदि न्यायालय में लम्बित वाद को लोक अदालत द्वारा सुलह समझौते से तय कराना चाहते हैं तो उस न्यायालय में आवेदन करने पर उस आवेदन पर विचार करने के बाद उनके मामले को लोक अदालत द्वारा तय करने के लिये निर्दिष्ट करेगी जहाँ पर लोक अदालत के सुलहकर्ता दल दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद उनके बीच सुलह करवाकर संधि पत्र तैयार करा देते हैं जिससे उनका विवाद सुलझ जाता है तो वह एवार्ड तैयार किया जायेगा जो कि इस अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जायेगा जो पक्षकारों पर बाध्य होगा और उसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। इस धारा 21 में यह व्यवस्था दी गयी कि उस मुकदमें में जो कोर्ट फीस पहले न्यायालय में जमा कर दी गई थी वह उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह मुकदमें को दायर करते समय न्यायालय में जमा की गयी थी।

8. लोक अदालत के सुलहकर्तादल द्वारा एवार्ड कैसे तैयार किया जायेगा :-

जब पक्षकार यह चाहते हैं कि उनके झगड़े का निस्तारण लोक अदालत में सुलह समझौते से कराया जाये तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगी जिस पर लोक अदालत उस मामले या विषय विवाद का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करवायेगी जब मामला सुलझ जाता है तो उसका जो संधिपत्र तैयार होता है उसे एवार्ड अर्थात् अधि

ानिर्णय कहा जाता है जिसको सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जाता है। इस एवार्ड या अधिनिर्णय को यदि वह अचल सम्पत्ति के संबंध में है तो पंजीकृत किया जाना परम आवश्यक है और सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों के बावत् झगड़े को निपटाने के अधिनिर्णय या अवार्ड का प्रश्न है उसको बिना स्टाम्प ड्यूटी के साधारण पेपर पर लेखबद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार मोटर दुर्घटना सम्बन्धी मामलों के सुलह समझौते के अवार्ड पर भी कोई स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होती। इसे साधारण पेपर पर बीमा कम्पनी एवं पक्षकारों का सुलहकर्ता दल के हस्ताक्षरों के साथ हस्ताक्षर होना पर्याप्त होता है। यदि यह ऐसा मामला हो जो न्यायालय में लम्बित था तो उसकी जो कोर्ट फीस न्यायालय में जमा करायी गयी थी उसको वापस लेने के लिए उस न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा जो ऐसे झगड़े के लोक अदालत में निपटारे के कारण न्यायालय कोर्ट फीस वापिस करने के आदेश पारित करेगा। यदि न्यायालय में लम्बित मुकदमें का लोक अदालत से सुलह समझौते से निस्तारण नहीं हो पाता तो उसको पुन: न्यायालय में वापिस कर दिया जायेगा ताकि न्यायालय उसको विधिवत तय कर सके। यह कहना गलत न होगा कि लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों पक्षों की जीत होती है तथा वातावरण में प्रेम और सौहार्द का सृजन होता है। इसलिये इस सेवा का पूरी तरह से प्रयोग करने से समाज निश्चित रूप से लाभान्वित होगा और इससे हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी बल मिलेगा।

भाग-5

स्थाई लोक अदालत संबंधी नये प्रावधान

1- सिविल प्रक्रिया संहिता की नई धारा 89 द्वारा न्यायालय में लम्बित मुकदमों को लोक अदालत द्वारा मध्यस्थम या सुलह-समझौते से तय करने सम्बन्धी नये प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2002 के संशोधन के परिणाम स्वरूप अब अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण भी लोक अदालत या मध्यस्थतम या सुलह-समझौते से करने हेतु प्रावधान किये गये हैं, उसके अनुसार सभी अदालतें मुकदमों को न्यायालय के बाहर भी तय कर सकती है। जब न्यायालय में लम्बित मुकदमों के बारे में यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच में सुलह-समझौते से ऐसे मामले तय हो सकते हैं तो इस बारे में पक्षकारों से पूछकर न्यायालय ऐसे किसी सम्भावित समझौते की सम्भावना में उसके बीच समझौता करने के लिए न्यायालय में लंबित झगड़ों को निम्नलिखित माध्यमों से न्यायालय के बाहर तय करने का आदेश पारित कर सकती है :-

1- मध्यस्थतम द्वारा।

2- सुलह-समझौते द्वारा।

3- लोक अदालत द्वारा।

4- मीडिएशन द्वारा।

जहाँ तक मध्यस्थतम द्वारा मुकदमों को तय करने का प्रश्न है, उसके लिए ऐसी कार्यवाही हेतु मध्यस्थतम अधि ानियम 1996 के अन्तर्गत ही ऐसी कार्यवाही की जा सकती है और जब ऐसे मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से तय कराना हो तो उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत न्यायालय ऐसे मुकदमों को लोक अदालत में तय करने के लिए निर्देश करेगी।

जहाँ तक मीडिएशन से मुकदमा तय करने का प्रश्न है, उसके लिए अलग से ऐसा कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है मध्यस्थतम एवं सुलह-समझौते हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कानून हैं, वे अपने आप में पूर्णतया पर्याप्त हैं।

2- मुकदमेबाजी से पहले झगड़े को सुलह-समझौते से तय करने सम्बन्धी स्थाई लोक अदालतों के नये अधि ानियम की धारा 22-ए के अधीन नई व्यवस्था

सन् 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जो संशोधन करके स्थाई लोक अदालत की व्यवस्था की गयी है, उसमें न्यायालय में दाखिल मुकदमें का रूप धारण नहीं करती है बल्कि उससे पहले झगड़ों को स्थाई लोक अदालत से तय करने सम्बन्ध ी व्यवस्था की गयी है उसमें लोक अदालत के अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत को सीमित करने का प्रावधान नई धारा 22-बी में किया गया है, जिसके अनुसार स्थाई लोक अदालतों की स्थापना मे जो कि अधिसूचना द्वारा की जायेगी, उसमें एक सदस्य न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त जिला जज स्तर के हो सकते है, वह अध्यक्ष होंगे और दो ऐसे सदस्य जिनको पर्याप्त सामाजिक सेवाओं का ज्ञान एवं अनुभव

हो वह दूसरे सदस्य होंगे जो राज्य प्राधिकरण के द्वारा उनकी नियुक्ति की जायेगी। जहाँ तक इसकी प्रक्रिया का प्रश्न है, ऐसी स्थाई लोक अदालत के सम्मुख संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और उसके क्षेत्राधिकार के बाबत भी पूर्ण व्यवस्था इसी अधि ानियम की धारा 22क में की गयी है। अब ऐसे मामले झगड़ों के निस्तारण के लिए सीधे न्यायालय में नही जायेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति इस झगड़े को स्थाई लोक अदालत के सम्मुख ले जाकर तय करा सकता है, बशर्ते कि ये झगड़े उस प्रकृति के हों जिस का उल्लेख इसमें किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट करना उचित होगा कि लोक अदालत की कार्यवाही एवं स्थापना सम्बन्धी सारी व्यवस्था जहां धारा 19 से लेकर धारा 22 तक की गयी है, वहीं दूसरी और एक नया संशोधन कर स्थाई लोक अदालत स्थापित करने का प्रावध ाान किया गया है और इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ लोक अदालत में ऐसे मामले को निस्तारण होता है जो न्यायालय में लम्बित है, जबकि धारा 22-बी में स्थापित स्थाई लोक अदालत में केवल वही मुकदमें लिये जाते हैं, जिसने न्यायालय में मुकदमें का रूप धारण नहीं किया हो।

3- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालतों को स्थापित करना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में सन् 2002 के अधिनियम संख्या 37 द्वारा संशोधित करके धारा 22ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थाई लोक अदालतों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है। धारा 20-ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22-क के खण्ड-ख के अधीन यथा परिभाषित समस्त जन उपयोगी सेवाओं के बारे में राज्य के प्रत्येक जनपद में स्थाई लोक अदालतें स्थापित की जायेंगी जो कि अपने ही क्षेत्रों में अधिकारिता का प्रयोग करेगी।

इस अधिनियम की धारा 22-ख की उप धारा 2 के खण्ड-ख के अधीन यथा परिकल्पित, आवश्यक सिफारिश करने तथा नाम निर्देशन के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए इन स्थाई लोक अदालतों के अध्यक्षों द्वारा सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जायेगी। जहाँ तक अध्यक्षों का प्रश्न है वह प्राय: जिला जज होंगे और अन्य दो सदस्य अलग स्तर से योग्य व्यक्ति हो सकते है। जहाँ तक स्थाई लोक अदालतों के स्थापन का प्रश्न है वह सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। जिसके लिए सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी जनपदों के लिए या किसी विशेष जनपदों के लिए ऐसी किसी लोक अदालतों के स्थापन हेतु अधिसूचना जारी होगी, जिसमें स्थाई लोक अदालत का नाम व स्थान का उल्लेख करके अध्यक्ष, सदस्य का पद नाम या नाम एवं जिस क्षेत्र में स्थाई लोक अदालत का नाम व स्थान करायेगी वह स्थान एवं अधिनियम की धारा 22-क के अधीन यथा परिभाषित जन-उपयोगी सेवाओं का उल्लेख किया जायेगा। ऐसी लोक अदालतों में मुकदमें केवल आपसी एक दूसरे के झगड़े ही नहीं आते, बल्कि ऐसी सभी जन उपयोगी मामलों को निस्तारण किया जाता है। निश्चय ही यदि ध्यान से देखा जाये तो ये जन उपयोगी सेवा कुछ हद तक उपभोक्ता फोरम के अन्तर्गत मामलों की तरह ही होती है। लेकिन उसमें चूंकि विशेष अधिनियम बनाकर ऐसी शक्तियाँ दी गयी हैं वहीं दूसरी और जिला जज की अध्यक्षता में दो सदस्यों के साथ ही स्थाई लोक अदालत के अन्तर्गत भी जन उपयोगी सेवाओं का निर्धारण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 22-ख के अन्तर्गत कई राज्यों के प्राय: सभी जिलों में स्थाई लोक अदालतों का सृजन किया गया है उत्तराखण्ड में भी स्थाई लोक अदालत स्थापित करने की प्रक्रिया जारी हैं और शीघ्र ही ऐसी अदालतों की स्थापना हो जायेगी। अधिनियम की धारा 22-क के अधीन यथा परिभाषित जन उपयोगी सेवाओं का इस प्रकार उल्लेख किया गया है।

1- यात्रियों या माल के वायु, सड़क या जल द्वारा वहन के लिए कोई परिवहन सेवा।

2- कोई डाक, तार या दूरभाष सेवा।

3- किसी भी स्थापना जनता को किसी पावर रो ानी या जल का प्रदान।

4- जन सफाई या संशोधित स्वच्छता की प्रणाली।

5- अस्पताल या चिकित्सालय में सेवा।

6- कोई बीमा सेवा और इसके अतिरिक्त ऐसी कोई सेवा भी है, केंद्र सरकार या यथास्थापित राज्य सरकार अधिनियम के अध्याय 6-क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा समय-समय पर लोक हित में जन-उपयोगी सेवा होना घोषित करें।

भाग-6

उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में कानूनी सहायता कार्यक्रम

अल्मोड़ा

अल्मोड़ा एक प्राचीन स्थल है। जिसका उल्लेख विष्णु पुराण महाभारत में मिलता है। यह जनपद उत्तराखण्ड राज्य का एक महत्वपूर्ण जनपद है। जिसकी कुल जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 6,30,446 है, जिसमें 2,93,576 पुरुष हैं और 3,13,383 महिलाएं है। जहाँ तक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है इसमें कुल 5,76,497 व्यक्तियों में से 2,63,144 पुरुष हैं और 313383 महिलाएं है। इस प्रकार इस जनपद की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है और शहरी जनसंख्या मात्र 93949 है, जिसमें 30462 पुरुष हैं तथा 23487 महिलाएं है। यहाँ अधिकतर हिन्दी भाषा बोली जाती है और इस जनसंख्या में सभी धर्मों के लोग हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध इत्यादि इसमें निवास करते हैं। इस क्षेत्र का आधे से अधिक भाग वनों से घिरा हुआ है इसलिए यहाँ का वनों पर आधारित व्यापार भी दस करोड़ से अधिक का है, उसमें जड़ी-बूटियाँ इत्यादि मुख्य हैं।

इस जिले में केवल तीन तहसीलें हैं और चार नगर पंचायतें हैं। इस क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ कृषि हैं, परन्तु पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लोगों के पास छोटे-मोटे खेत हैं जहाँ खेती करना कठिन एवं अधिक लाभप्रद नहीं है इसलिए यहाँ के अधिकतर लोग जीवनयापन एवं धन्धा ढूँढने के लिए नीचे चले जाते है और खेती का अधिकतर काम महिलाएं करती है। इसलिए सभी पारिवारिक समस्याओं का समाधान महिलाओं को ही करना होता है। हालांकि इस जनपद में कुछ स्थानों पर आव यक फैक्ट्री इत्यादि भी है और एक तो मैग्नेसाइड की इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि जहाँ 800 से अधिक लोग काम करते हैं तथा रानीखेत जैसे टूरिस्ट स्थल में ऊन की मिलें एवं फैक्ट्रियाँ हैं, तथा इस जनपद में केवल कृषि के साथ-साथ ताँबे के बर्तन ऊनी कपड़े इत्यादि का भी कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म का भी भरपूर स्कोप है क्योंकि इस जनपद में रानीखेत जैसे प्रसिद्ध स्थल है। जहाँ पर हजारों की जनसंख्या में पर्यटक आते है इसलिए इस जनपद की जनसंख्या अन्य जनपदों के मुकाबले में बहुत समृद्ध है और जिसके कारण निश्चय ही कानूनी समस्याओं का होना भी स्वाभाविक ही है। इस जनपद में मुख्य त्यौहार बैशाखी, पूर्णिमा, मार, कोटभारमरी, नन्दादेवी, उत्तरायणी, शिवरात्रि, बीखोटी, स्यालदे, सोमनाथ, पूर्णागिरि, हरेला इत्यादि मनाये जाते हैं और प्राचीन मंदिरों की भी अधिक संख्या है जिनको विकसित करके भारतीय संस्कृति में योगदान किया जा सकता है। इस जनपद की जहाँ तक शिक्षित जनसंख्या का प्रश्न है इसमें केवल जनसंख्या 3,98,391 व्यक्तियों में 2,19,784 पुरुष एवं 1,78,607 महिलाएं हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ की सुविधा बहुत व्यापक स्तर पर है। जनपद अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल 3075 कि0मी0 है इसमे तीन तहसीलों का नाम भिकियासैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा है।

उत्तराखण्ड देव भूमि में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद निश्चय ही लोगों की सरकार के प्रति आकांक्षा बढ़नी स्वाभाविक है। हर नागरिक चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो यह अपेक्षा करता है कि राज्य द्वारा चलायी जा रही सभी लाभकारी योजनाओं का उसे लाभ मिले और संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनमें मुख्य अधिकार न्याय की समानता का है उससे उसे वंचित न रखा जाये। सभी असहाय, निर्धन एवं निर्बल लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व जिला जज की अध्यक्षता में जनपद में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है जिसका यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के साथ हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। यह कड़वा सत्य है कि गरीब व असहाय व्यक्ति न्यायालय तक पहुँचने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। चूँकि विधि का अन्तिम उद्देश्य न्याय देना है और न्याय प्रदान करना राज्य का नैतिक तथा संवैधानिक कर्तव्य है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य बनता है कि दलित, पीड़ित व निरक्षर व्यक्ति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों महिलाओं और बच्चों को हर मायनों में सरल व सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जाये ताकि वे अपना सामान्य जन-जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालतों एवं साक्षरता शिवरों का आयोजन करके एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर की जा रही है। इस देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में विधिक प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको कानूनी सहायता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है उसका अब हम वर्णन करते हैं। अल्मोड़ा जिले में जो कानूनी सहायता कार्यक्रम किये गये वह इस प्रकार है:-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	49
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	10,795
3.	कुल निस्तारित वाद	:	4,571
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 52,99,500
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 16,13,696
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	4,572
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	62
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	40,475
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	09

बागेश्वर

बागेश्वर जनपद हिमालय पहाड़ से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 2311 स्का0 किमी0 है। इस जनपद को 12-9-1997 में सृजित किया गया। जो कि उससे पहले अल्मोड़ा का ही भाग था। इस जनपद की कुल जनसंख्या 2,94,453 है जिसमें 1,18,202 पुरुष एवं 1,31,251 महिलाएं हैं। इस जनपद की मुख्य जनसंख्या ग्रामीण है और मात्र 7803 शहरी जनसंख्या है जिसमें 4306 पुरुष एवं 3497 महिलाएं हैं। इस क्षेत्र की अधिकतर भाषा कुमाउँनी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा हिन्दी ही है। इस क्षेत्र के निवासी सभी धर्मों के है जिनमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध इत्यादि धर्मों के हैं। इस जिले में बागेश्वर, कपकोट दो तहसीलें हैं तथा तीन कम्यूनिटी डेवलेपमेन्ट ब्लाक हैं और केवल एक ही नगर पंचायत है। जबकि 800 के लगभग इस जिले में ग्राम हैं। इस क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि है और अन्य पहाड़ी जिलों की तरह खेती की भूमि पहाड़ी होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर चले जाते हैं और महिलाओं को ही खेती का सारा कार्य देखना पड़ता है, लेकिन इस जनपद का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खेती के अतिरिक्त यहाँ पशुपालन भी है। इस क्षेत्र का पहाड़ी एवं वनीय क्षेत्र होने के कारण टूरिस्टों के लिए ये अधिक उपयोगी है। धार्मिक दृष्टि से इस जनपद के मुख्य स्थल बागेश्वर, दूनागोली एवं पिगलोम हैं। इसी जनपद में बैजनाथ नगर पंचायत है। जहाँ पर भव्य पार्वती की मूर्ति एवं अन्य मूर्तियाँ देखने योग्य हैं। इस जनपद के मुख्य त्यौहार बैशाखी पूर्णिमा, कोट भरामरी, नन्दा देवी, उत्तरायणी, शिवरात्रि, बिखोटी स्यालदे, सोमनाथ, पूर्णागिरी, हरेला, देवीधूरा इत्यादि हैं। यहाँ इस जनपद की जनसंख्या अधिक शिक्षित है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या में कुल जनसंख्या 249453 है जिसमें 118202 पुरुष हैं एवं 131251 महिलाएं हैं। जिनमें 241650 व्यक्ति शिक्षित हैं उनमें 113896 पुरुष एवं 127754 महिलाएं शिक्षित हैं जो बात को प्रकट करता है कि यह जिला शिक्षित है। इस जिले में दो तहसीलें हैं जिनके नाग बागेश्वर एवं कपकोट हैं। इस जनपद का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल कौसानी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बड़े भव्य होटल हैं और टूरिस्ट स्थान हैं।

इस जनपद का सृजन क्योंकि हाल में ही हुआ है और यहाँ के लोग अधिकतर ग्रामीण हैं जिनको निश्चय ही न तो अपने अधिकारों की जानकारी हो पाती है और न ही वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि वे न्यायालय की शरण में आकर अपने अधिकारों की माँग कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। इस जनपद के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं राज्य द्वारा दिलायी जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना परम आवश्यक है इसलिए इस जनपद में विधिक सेवा विशेष रूप से दूर दूरस्थ के ग्रामीण स्थलों या उपनगरों में सर्वथा शिविरों का आयोजन करके ही सम्भव हो सकता है। इसलिए लोक अदालत के आयोजन से उतना लाभ नहीं हो सकता क्योंकि न्यायालयों में बहुत कम मुकदमे लम्बित हैं। लेकिन लोगों को समृद्ध एवं उन्नतिशील बनाने हेतु उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ उन्हें सरकार द्वारा दिलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इसके लिए निश्चय ही इस नये सृजित जनपद में अधिक से अधिक साक्षरता शिवरों के आयोजन का माध्यम अधिक प्रभावी एवं लाभप्रद होगा। उक्त कार्य हेतु इस जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया जारी है।

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	69
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	2,404
3.	कुल निस्तारित वाद	:	1,418
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	–
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 10,05,070
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	1,429
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	74
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	49,988
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	6,663

चमोली

इस जनपद का सृजन सन् 1960 में हुआ था। यह उत्तराखण्ड राज्य का बहुत पुराना पहाड़ी जनपद है। जो तिब्बत चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। यह जनपद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जहाँ पर बद्रीनाथ का मन्दिर स्थित है तथा पंचबद्री एवं पंचकेदार इसी जनपद में ही स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम मठ की स्थापना इसी जिले में ही प्रारम्भ की गयी थी। इस जिले की कुल जनसंख्या 3,69,198 है जिसमें 1,83,033 पुरुष हैं और 1,86,185 महिलायें है इस जिले की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है और केवल मात्र 49,585 लोग शहरी है जिनमें 28,572 पुरुष और 21,013 महिलाएं हैं। इस जनपद की मुख्य भाषा हिन्दी है और सभी धर्मों के लोग इस जनपद में निवास करते हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग जंगलों से घिरा हुआ है और अन्य भूमि खेती के प्रयोग में आती है। इस जिले में केवल 6 तहसीलें एवं 6 उपनगर हैं। बद्रीनाथ मन्दिर के साथ-साथ फूलों की घाटी शाखाएं, हेमकुण्ड साहब इसी जिले की जो ीमठ, गैरसैण, चमोली, कर्णप्रयाग, थराली, पोखारी और इसी जनपद के मुख्य उपनगर के नाम है। बद्रीनाथ, चमोली, गोचर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग।

यह जनपद भौगिलिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से देवभूमि उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण जनपद है। इसीलिए यहाँ के नागरिकों की खुशहाली पर ही देवभूमि उत्तराखण्ड की प्रसिद्धि निर्भर करती है लेकिन यह दुख की बात है कि इस जनपद की जनता खुशहाल नहीं है और इसीलिए पूरी तरह इन लोगों को राज्य द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती जिसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़े क्षेत्र मे पहाडों में बिखरी हुयी है और जनपद से गाँवों की दूरी पचासों मील की है जिससे लोगों को न तो उनके विधिक अधिकारी का ज्ञान होता है और न ही वे उसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ एक तरफ यह जनपद 6 बड़ी तहसीलों में फैला हुआ है वहीं जनपद से तहसीलें भी पचासों मील दूर हैं। अत: इसे समृद्ध बनाने के लिए साक्षरता शिविरों का आयोजन करना ही सबसे प्रभावी एवं लाभप्रद है।

यह उल्लेखनीय है कि इस जनपद द्वारा जनता में अधिक से अधिक विधिक साक्षरता फलीभूत करने एवं समानता का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सरल कानूनी ज्ञान मालाओं का प्रकाशन किया गया है। यह कि इन सरल विधिक ज्ञान मालाओं का लाभ जहाँ एक तरफ सभी महिलाओं को साक्षरता शिविरों का आयोजन करके एवं मेलों में विद्यार्थियों, महिलाओं, सैनिकों को उनके अधिकारों की जानकारी कराने के उद्देश्य से विचार गोष्ठियों, नाटकों के माध्यम से भी उन्हें सभी महत्वपूर्ण विधि विषयों पर सभी कानूनी जानकारी उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त इस जनपद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से जनपद के सभी तीन सौ से अधिक महिला मंडलों के माध्यम से कानूनी सहायता एवं विधि का ज्ञान इस रूप में उपलब्ध कराया गया कि हर महिला मंडल की अध्यक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 18 सरल कानूनी ज्ञान मालाओं को छपवाकर उनकों उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध अनुदान राशि प्राप्त होने पर सैंकड़ों पुस्तकें इन 18 सरल कानूनी विषयों पर छपवाकर सम्पूर्ण जिलों की तहसीलों एवं ब्लाकों में उपलब्ध करायी गयी ताकि जनता को उनसे सुशिक्षित करके सशक्त बनाया जा सके। इस जनपद का चूँकि हर प्रकार से विशेष महत्व है इसीलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर भी यह विशेष दायित्व है कि वह इस जनपद के दूर-दूराज में रहने वाले सभी ग्रामीणों को सरल कानूनी सहायता व पुस्तकें उपलब्ध कराके उन्हें सुशिक्षित कर उनकी सहायता करें। इस जनपद में जो कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित किये गये। वह इस प्रकार हैं :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	58
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	10,417
3.	कुल निस्तारित वाद	:	3,903
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 97,73,763
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 15,88,502
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	4,146
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	56
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	8,149
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	14

चम्पावत

इस जनपद का गठन 15 सितम्बर 1997 में किया गया था। इससे पूर्व यह जनपद पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंहनगर का ही भाग था। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1781 कि0मी0 है और इसकी जनसंख्या 2,24,461 है, जिसमें 1,10,916 पुरुष और 1,13,545 महिलाएं हैं और इसमें शहरी जनसंख्या केवल मात्र 17,678 पुरुष और 15056 महिलाएं है। इस क्षेत्र में अधिकतर कुमाऊँ भाषा ही बोली जाती है। क्योंकि यह जिला केवल मात्र एक तहसील एवं तीन कम्यूनिटि डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया है इसलिए इस जिले में केवल तीन उपनगर एवं 688 गाँव है। इस जनपद के प्रसिद्ध मुख्य उपनगर चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनवसा है।

चूँकि यह जिला अभी हाल ही में सृजित किया गया है इसलिए इस जिले की उन्नति होने में निश्चय ही समय लगना स्वाभाविक ही है। चूँकि यहाँ की भूमि पहाड़ी इलाके की पथरीली एवं चट्टानी है इसलिए निश्चय ही लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह दायित्व बन जाता है कि यहाँ के लोगों को विधिक जानकारी के साथ ही साथ उन्हें राज्य द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाना सुनिश्चित करें। क्योंकि इस जिला में महिलायें अधिकतर खेती का कार्य देखती हैं और इसलिए उन्हीं पर आर्थिक एवं पारिवारिक बोझ पड़ता है इसलिए उनको विशेष रूप से विधिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों को सुरक्षित करने में वह स्वाभिमानी एवं समृद्धिशील बन सकें। यह जिला अभी हाल ही में सृजित किया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के उपरान्त ही किया गया और राज्य द्वारा गठन न होने के कारण बजट आदि का आवंटन भी उक्त जिले को नहीं किया जा सका था, इसलिए उक्त जिले में लोक अदालत एवं विधि साक्षरता शिविरों का आयोजन नहीं हो सका। जिला प्राधिकरण का गठन करके उत्तराखण्ड राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण इस जिले के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रमों के आयोजन कराने का प्रयास कर रहा है।

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	41
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	2,941
3.	कुल निस्तारित वाद	:	2,447
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 2,56,398
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 14,31,450
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	2,462
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	35
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	14,265
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	520

देहरादून

यह जनपद उत्तराखण्ड राज्य का एक सबसे महत्वूपर्ण एवं पौराणिक जनपद है जो कि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी भी है। मुगल राज्य में औरंगजेब ने गुरूराम राय को देश निकाला किया तो उन्होंने यहाँ आकर अपना डेरा लगाया था और इसी प्रकार महाभारत के गुरुद्रोणाचार्य का आश्रम होने से भी देहरादून का नाम जोड़ा जाता है। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 3088 स्का0 किमी. है। इस जनपद देहरादून का जिक्र स्कन्द पुराण में भी आता है और अशोक के राज्य में भी तीसरी शताब्दी में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसाार 12,79,083 है जिसमें 6,75,549 पुरुष है और 6,03,534 महिलाएं है। इस जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की अधिक जनसंख्या है, जो कि 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति के लोगों की कुल जनसंख्या 1,37,464 हैं, 84,076 अन्य लोग हैं। इस जनपद में हिन्दी, पंजाबी, उर्दू इत्यादि भाषा बोली जाती है और सभी धर्मों के लोग इसमें निवास करते हैं जहाँ तक जनसंख्या का प्रश्न है तो 1991 की जनगणना के अनुसार तो उपरोक्त कुल जनसंख्या में 8,74,760 हिन्दू लोग थे एवं 98,748 मुस्लिम, 8,949 क्रिस्चन, 30,417 सिक्ख, 8,345 बुद्धिस्ट, 4,159 जैनस थे। इस जनपद में कुल 14 उपनगर एवं 764 गाँव हैं। इसके मुख्य उपनगर के नाम चकराता कैन्ट, किलेमन्ट टाउन, देहरादून केन्ट, देहरादून, लनडोर कैन्ट, ऋषिकेश, विकासनगर, वीरभद्र इत्यादि हैं। इस जनपद की तहसीलों के नाम हैं चकराता, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश।

यह देवभूमि उत्तराखण्ड का एक प्रसिद्ध शहर होने के साथ ही साथ इसकी राजधानी भी है और इसलिए यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या होना स्वाभाविक है लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि इस जनपद में अधिकतर संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है जो कि आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं हैं और विशेषतया महिलाओं एवं बच्चों को कानूनी सहायता की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। इस जनपद में चकरौता तहसील भी स्थित है जो कि हैडक्वार्टर से पचासों मील दूर है और यहाँ की जनसंख्या भी अधिकतर अनुसूचित जनजाति के लोगों की है इसलिए उनके अनपढ़पन को दूर करने में कानूनी सहायता कार्यक्रम बहुत लाभप्रद हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसी जनपद में मंसूरी जैसा प्रसिद्ध टूरिस्ट शहर भी स्थित है जहाँ पर श्रमिकों की समस्याएं अधिक उग्र हैं क्योंकि प्राय:

आस-पास के गाँव के निरक्षर एवं गरीब बच्चे यहाँ होटलों में बाल मजदूरी करते हैं इसलिए ऐसे बच्चों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उनको विधिक रूप से सुशिक्षित नागरिक बनाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का वि ोक्ष दायित्व है। इस जिले में आयोजित कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	75
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	2,77,564
3.	कुल निस्तारित वाद	:	90,216
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 12,92,16,525
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 87,68,974
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	96,656
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	39
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	11,250
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	185

हरिद्वार

यह जनपद उत्तराखण्ड राज्य की महत्वपूर्ण एवं भारत की प्रसिद्ध धर्म नगरी है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2360 कि.मी. है, जैसा कि इसका नाम है कि यह हिमालय पर्वत जाने का मुख्य द्वार है और इसको मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। इस धार्मिक नगरी की कुल जनसंख्या 14,44,213 है जिसमें 7,73,173 पुरुष और 6,71,040 महिलाएं हैं और इस कुल जनसंख्या में 10,00,000 के लगभग जनसंख्या ग्रामीण है जिनमें से 5,30,000 के लगभग पुरुष हैं और 4,67,000 के लगभग महिलाएं हैं और जहाँ तक शहरी जनसंख्या का प्रश्न है वह मात्र 4,45,000 के लगभग है जिसमें 2,41,000 पुरुष हैं और 2,04,018 महिलाएं हैं। इस जनसंख्या में गरीब लोगों की संख्या भी अधिक है जिसमें मुख्यत: अनुसूचित जाति के 2,05,000 के लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग मात्र 2,000 के लगभग ही हैं। जहाँ तक इस जनसंख्या में धार्मिक व्यक्ति का प्रश्न है इनमें से उपरोक्त कुल जनसंख्या में 7,68,000 के लगभग हिन्दू हैं और 3,38,000 के लगभग मुस्लिम हैं तथा 13,000 के लगभग सिक्ख हैं। इस जनपद की तीन तहसीलें एवं 6 कम्यूनिटी डवलपमेन्ट ब्लॉक्स हैं जबकि इसमें 10 उपनगर एवं 627 गांव हैं। इस जनपद के मुख्य उपनगरों में भैल (बी.एच.ई.एल.), रानीपुर, हरिद्वार, झवेरा, लानडोरा, मंगलौर, रूड़की इत्यादि हैं। इस जनपद में कई मुख्य मेले और त्यौहार होते हैं। वहाँ कुम्भ का मेला सबसे बड़ा मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है वो भी इसी नगरी में होता है। इस जनपद में रूड़की, लक्सर एवं हरिद्वार तीन तहसीलें हैं।

हरिद्वार उत्तराखण्ड देवभूमि का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के साथ ही साथ यह एक औद्योगिक नगरी भी है और इसके साथ ही साथ इसके आस-पास बहुत बड़े क्षेत्र ग्राम भी हैं इसलिए इसकी समस्याओं में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक ही है। यहाँ लोगों के मुकदमों को त्वरित निस्तारित करने में लोक अदालतों का विशेष महत्व है क्योंकि गाँवों की अधिकता के कारण एवं इस धार्मिक नगरी में कुम्भ मेले एवं त्यौहारों की अधिकता के कारण यहाँ अपराधों में भी बहुत अधिकता है जिससे न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या भी बहुत है। अत: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करके लोगों को त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी विशेषत: मेले एवं त्यौहारों के अवसर पर लाभप्रद हो सकता है। यहाँ की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रमों की तस्वीर इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	156
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	52,651
3.	कुल निस्तारित वाद	:	30,276
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 2,23,76,370
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 73,41,639
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	35,892
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	64
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	18,680
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	54

नैनीताल

जनपद नैनीताल का कुल क्षेत्रफल 3853 स्का0 कि0मी0 है और इसकी जनसंख्या 7,62,912 हैं। जिसमें 4,00,336 पुरुष और 3,62,576 महिलाएं हैं और इस कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 4,93,126 के लगभग है। जिसमें इसमें 4,56,642 पुरुष और 2,36,484 महिलाएं है और शहरी जनसंख्या में कुल 2,70,000 के लगभग जो व्यक्ति हैं उनमें 1,43,000 के लगभग पुरूका हैं और 1,26,000 के लगभग महिलाएं हैं। इस जनपद की चार तहसीले एवं 8 उपनगर हैं और इन उपनगरों के नाम इस प्रकार हैं- भीमताल, भवाली, हल्द्वानी, काठगोदाम, कालाढूँगी, लालकुआँ, नैनीताल, रामनगर इत्यादि। इसकी चार तहसीलों के नाम है- नैनीताल, कौश्याकुटौली, धारी और हल्द्वानी। इस जनपद में अनुसूचित जाति के लोग अधिक संख्या में हैं जो कि कुल जनसंख्या में 2,43,000 के लगभग हैं जिनमें 1,30,000 पुरुष हैं और 1,13,000 के लगभग महिलाएं हैं। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है इनकी भी पर्याप्त जनसंख्या इस जनपद में है जो कि 90,000 के लगभग हैं और इस अनुसूचित जनजाति में भोटिया, बुक्सा, थारू इत्यादि है। इस जनपद में जिला विधि ाक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो कार्यक्रम किये गये। वह इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	79
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	59,655
3.	कुल निस्तारित वाद	:	23,134
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 2,06,16,242
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 1,33,98,524
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	24,067
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	28
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	15,976
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	03

पौढ़ी गढ़वाल

पौढ़ी गढ़वाल जनपद का क्षेत्रफल 5397 स्का कि0मी0 है। इसकी कुल जनसंख्या 6,96,851 है। जिसमें 3,31,138 पुरुष हैं और 3,65,713 महिलाएं हैं। इस जनपद की कुल जनसंख्या में 90,000 के लगभग शहरी हैं, बाकी सभी ग्रामीण लोग हैं और इसमें से भी 50,000 के लगभग महिलाएं और 40,000 के लगभग पुरुष हैं। इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनंसख्या अधिक है जो कि लगभग 92,000 के लगभग है और इसमें भी 83,000 के लगभग अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जबकि अनुसूचित जन जाति की जनंसख्या बहुत कम जो मुश्किल से 1,500 से अधिक नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा हिन्दी है और अधिकतर जनसंख्या हिन्दुओं की है जबकि मुस्लिम केवल मात्र 15,000 के लगभग हैं। इस जनपद में केवल 6 तहसीलें हैं और 3,500 के लगभग गाँव हैं। जहाँ तक इस शहर के उपनगर का प्रश्न है जिनमें मुख्यत: कालागढ़, कोटद्वार, लेन्सडॉन केन्ट, पुरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, बाह बाजार, डोगाड्डा है। इस जनपद में 6 तहसीलें- कोटद्वार, डूमा-कोट, लैन्सडॉन, पाथूरी, थालीसेन, श्रीनगर हैं।

यह जनपद उत्तराखण्ड देवभूमि के क्षेत्रफल एवं तहसीलों के क्षेत्रफल को देखते हुए सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ की सभी तहसीलें भी हैडक्वार्टर से पचासों मील दूरी पर हैं इसलिय यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने एवं उन्हें त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोग अदालत एवं साक्षरता शिविरों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस जनपद द्वारा कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	59
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	44,299
3.	कुल निस्तारित वाद	:	13,507
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 3,03,39,186
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 42,72,032
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	14,048
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	30
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	10,204
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	150

पिथौरागढ़

इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 7118 स्का कि.मी. है। इस जिले का गठन 24 फरवरी 1960 में हुआ था। इसकी कुल जनसंख्या 6,62,149 है जिनमें 2,27,592 पुरुष और 2,34,557 महिलायें है, और इस जनसंख्या का अधिकतर भाग ग्रामीण जनसंख्या है। जिसका कि कुल 4,06,000 के लगभग है। जिसमें महिला एवं पुरुष का अनुपात बराबर है और जहाँ तक शहरी जनसंख्या का प्रश्न है वह इस शहर में 6,00,000 के लगभग है। जिसमें 30,000 के लगभग पुरुष और 26,000 के लगभग महिलायें है। इस क्षेत्र में भी हिन्दी भाषा ही बोली जाती है। इस जनपद की कुल चार तहसीलें एवं 4 उपनगर हैं और इन मुख्य नगरों के नाम हैं धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, मुनस्यारी इत्यादि। जहाँ तक तहसीलों का प्रश्न है वह है पिथौरागढ़, डीडीहाट, मुनस्यारी इत्यादि। इस जनपद में कुल जनसंख्या 1,16,000 के लगभग अनुसूचित जाति की है एवं 18,000 के लगभग अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। जिनमें अनुसूचित जन जाति के लगभग 15,000 लोग रहते हैं जिनमें 59,000 के लगभग पुरुष और 56,000 के लगभग महिलाएं हैं और कुल जनसंख्या 18,000 के लगभग हैं जिसमें दोनों पुरुष एवं महिलाओं की संख्या बराबर हैं यह जनपद चूँकि चीन सीमा से जुड़ा हुआ चीन तिब्बत की सीमा में है इसलिये इस जनपद के लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी हेतु विधिक साक्षरता के आयोजन पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इस जनपद में किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	75
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	23,926
3.	कुल निस्तारित वाद	:	9,427
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 1,01,70,237
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 49,47,680
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	10,043
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	32
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	8,915
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	107

रुद्रप्रयाग

इस जनपद का सृजन सितम्बर 1997 में किया गया था। जिसका कुल क्षेत्रफल 1895 स्का0 कि.मी. है। इस जनपद की कुल जनसंख्या 2,27,461 के लगभग है जिसमें 1,07,425 पुरुष हैं और 1,20,036 महिलाएँ हैं, और इस जनपद की जनसंख्या में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है जो कि 2,24,000 के लगभग है जिसमें 1,05,000 के लगभग पुरुष और 1,09,000 के लगभग महिलाएं हैं और केवल 2700 लोग ही शहरी है। जिसमें 1800 पुरुष और 800 के लगभग महिलाएं हैं। इस जनपद में अधिकतर गढ़वाली भाषा बोली जाती है। इस जनपद में दो तहसीलें एवं दो ही उपनगर हैं और ये उपनगर मुख्यत: रूद्रप्रयाग एवं ऊखीमठ हैं। इसमें मुख्य तहसीलें रूद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जाखोली इत्यादि हैं। इस जनपद में विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया जारी है।

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	78
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	14,073
3.	कुल निस्तारित वाद	:	7,540
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 2,48,19,147
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 25,33,021
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	7,124
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	36
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	4,942
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	1,277

टिहरी गढ़वाल

इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 4421 स्क0 कि.मी. है और इसका हैडक्वार्टर न्यू टिहरी में है। इसकी कुल जनसंख्या 6,04,608 के लगभग है जिसमें 2,94,000 के लगभग पुरुष एवं 3,10,000 के लगभग महिलाएं हैं और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है जिसकी कुल जनसंख्या 5,46,000 के लगभग है जिसमें 2,60,000 के लगभग पुरुष और 2,87,000 के लगभग महिलाएं हैं। इसके

अतिरिक्त शहरी जनसंख्या भी पर्याप्त रूप में है जिनकी कुल संख्या 58,000 के लगभग हैं जिसमें 35,000 के लगभग पुरुष हैं और 22,000 के लगभग महिलाएं हैं। इस जनपद में अनुसूचित जाति के लोगों की पर्याप्त मात्रा है जिनकी कुल जनसंख्या 80,000 के लगभग हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या मात्र 3300 ही है। इस जनपद की अधिकतर जनसंख्या हिन्दू है जो कि 5,74,000 के लगभग जनसंख्या मुख्यत: हिन्दुओं की है और बाकि अन्य धर्मों के लोग इस जनपद में निवास करते हैं। इस जनपद की केवल 5 तहसीलें एवं 6 उपनगर हैं और इन उपनगरों में मुख्यतया देवप्रयाग, कीर्तिनगर, मुनी-की-रेटी, नरेन्द्रनगर, टिहरी हैं जहाँ तक तहसीलों का प्रश्न है तो वह गनसाली, टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग, नेरन्द्रनगर हैं। इस जनपद के अर्न्तगत किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	76
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	10,365
3.	कुल निस्तारित वाद	:	4,002
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 2,03,35,548
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 15,15,806
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	4,567
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	73
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	18,362
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	106

ऊधमसिंह नगर

इस जनपद का सृजन सितम्बर 1995 में किया गया था। जिसका कुल क्षेत्रफल 2911 स्का कि.मी. है और इसकी जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 12,34,548 है जिसमें 6,50,000 के लगभग पुरुष हैं और 5,85,000 के लगभग महिलायें हैं। इस जनपद में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है जिनकी कुल जनसंख्या 8,31,000 के लगभग हैं जिसमें 4,34,000 पुरुष और 3,97,000 के लगभग महिलायें हैं। जहाँ तक शहरी जनसंख्या का प्रश्न है वह भी इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में है जिसकी कुल जनसंख्या 4,03,000 के लगभग हैं जिसमें 2,14,000 पुरुष और 1,88,000 के लगभग महिलायें हैं। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रश्न है वह भी इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में बतायी जाती है। जहाँ तक इस जनपद के उप नगरों का प्रश्न है वह मुख्यत: बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, रूद्रपुर, सितारगंज इत्यादि है। इस प्रकार इस जनपद की जहाँ तक तहसीलों का प्रश्न है वह काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज।

इस जनपद की जनसंख्या को देखते हुये जहाँ अपराधों की अधिकता होना स्वाभाविक है और पूर्णत: मैदानी एवं समृद्धिशील क्षेत्र होने के कारण यहाँ अपराध बहुत अधिक है। जहाँ एक तरफ लम्बित मुकदमों के निस्तारण के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करके सस्ता एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है वहीं दूसरी ओर लोगों को विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी उन्हें शिक्षित एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। विशेषत: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की इसमें अधिकता है और विशेषत: बच्चों को उनके अधिकारों से सर्वथा शिविरों के माध्यम से सुशिक्षित करके उन्हें लाभ पहुँचाना अधिक प्रभावी हो सकता है। इस जनपद में कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	100
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	1,19,376
3.	कुल निस्तारित वाद	:	38,393
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 6,90,61,201
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 1,26,70,852
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	42,645
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	46
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	16,097
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	49

उत्तरकाशी

इस जनपद का सृजन 14 फरवरी 1960 को किया गया था। जिसका कुल क्षेत्रफल 7950 स्का कि0मी0 है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह वाराणसी की काशीनगरी से सम्बन्धित है और इसी जनपद में गंगा ने भागीरथी के रूप में जन्म लिया था जो कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इस जनपद की कुल जनसंख्या 2,94,000 के लगभग है जिसमें 1,51,000 पुरुष और 1,42,000 के लगभग महिलायें हैं जो कि ग्रामीण हैं यह 2,27,000 के लगभग हैं और शहरी जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में है जो केवल 23,000 के लगभग है जिसमें 14,000 के लगभग पुरुष और 9,000 के लगभग महिलायें हैं। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है वह इस जनपद में अधिक मात्रा में है जिसकी कुल जनसंख्या 54,000 के आसपास हैं और अनुसूचित जाति के केवल 2300 लोग रहते हैं। इस जनसंख्या में अधिकतर जनसंख्या हिन्दुओं की है अन्य धर्म के 2500 लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं। इस जनपद में 4 तहसीलें एवं 6 कम्यूनिटी डेवलेपमेन्ट ब्लाक्स हैं। इसके अतिरिक्त इस जनपद में 3 उपनगर एवं कुल 686 गाँव हैं। जहाँ तक इन तहसीलों का प्रश्न है वह बरकोट, पुरौला, भटवारी, डून्डा हैं। इस जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अर्न्तगत पूरे वर्ष में किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:-

1.	कुल आयोजित लोक अदालत	:	107
2.	निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	:	19,245
3.	कुल निस्तारित वाद	:	8,109
4.	कुल दिलायी गयी प्रतिकर की राशि	:	रु. 69,23,163
5.	वसूला गया अर्थदण्ड	:	रु. 44,76,127
6.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	9,053
7.	कुल आयोजित साक्षरता शिविर	:	61
8.	कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	:	23,400
9.	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	28

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर द्वारा आयोजित कैम्पस का विवरण निम्नानुसार है :-

1-	कुल आयोजित विधिक शिविरों की संख्या	:	14
2-	शिविर में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	:	38,714
3-	कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	:	738

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना द्वारा दिनांक 09.07.2003 से एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया है। इसका कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के तत्वावधान में उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों के लिए, जिनका कि निस्तारण आपसी सुलह सफाई द्वारा किया जा सकता है, समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित लोक अदालतों का विवरण निम्नानुसार है :-

1-	कुल आयोजित लोक अदालतों की संख्या	:	09
2-	कुल निस्तारित वादों की संख्या	:	491
3-	दिलायी गयी प्रतिकर धनराशि	:	रु. 7,91,97,361
4-	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	:	1059

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –